

**पत्रांक-श्रम क०स०-72/2025-72**  
**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग**  
**बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति**  
**आदेश**

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, प० चम्पारण के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) तथा बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रू० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम (संबंध)/दावेदार/आधार संख्या | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता/मोबाइल नं०  | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं आई.एफ.ए. स.सी | स्वीकृत अनुदान की राशि        | मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति |
|---------|--|---|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| 1       | 2  | 3   | 4                              | 5   | 6                          | 7                      | 8                             | 9  |
| 1       | स्व० नन्हे मिश्र, 41, विनोद मिश्र, सामान्य वर्ग  | छेमा देवी, (पत्नी) 57947428 7904          | 1103, 08. 11.2025              | ग्रा०-दरवलिया, पो०+थाना+प्रखण्ड- यो गापट्टी जिला-पश्चिम चम्पारण मो०-9279488636    | 39417038 42                | CBI, CBIN02 84136      | रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए)  | दुर्घटना मृत्यु, ऑटो रिकशा चालक का कार्य     |
| 2       | स्व० हरिहर महतो, 64, सहदेव महतो, अति पिछड़ा वर्ग | सरस्वती देवी, (पत्नी) 71073515 4738       | 1160, 17. 11.2025              | ग्रा०-बगही, पो०+थाना+प्रखण्ड- यो गापट्टी जिला-पश्चिम चम्पारण मो०-9534595064       | 52967926 14                | CBI, CBIN02 82858      | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर                 |
| 3       | स्व० किशुन साह, 55, ढोढ़ा साह, पिछड़ा वर्ग       | तेतरी देवी, (पत्नी) 60889888 3239         | 1161, 17. 11.2025              | ग्रा०-मच्छरगावों, पो०+थाना+प्रखण्ड- यो गापट्टी जिला-पश्चिम चम्पारण मो०-8210621983 | 39398371 67                | CBI, CBIN02 84136      | रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) | स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर               |

**कुल :- रू० 2,00,000/-**  
**(दो लाख रूपए मात्र)**

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक



ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-72/2025-72

पटना, दिनांक :- 05/01/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) मात्र** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, पं० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 05-01-2026 14:11:12

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardi

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक